

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी

आई0ए0एस0

निगरानी सं0 27/2008 धारा 80(2) न0पा.अधि.

राजस्थान सरकार जरिये उपखंड अधिकारी दौसा

..निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

श्री सतीश चन्द जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी निधिवन कॉलोनी, दौसा

..गैर निगरानीकार/अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 80(2) राजस्थान नगर पालिका
अधिनियम विरुद्ध पट्टा संख्या 137 दिनांक 30.1.2002

उपस्थिति— 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री वरुण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 03.02.2023

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 80(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इस प्रकार है कि नगर पालिका दौसा द्वारा दिनांक 30.1.2002 को गैर निगरानीकार को पट्टा संख्या 137 जो कि 250.25 वर्गगज का है, जारी कर दिया। नगर पालिका दौसा के उक्त जारी पट्टा आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि श्री सतीश चन्द्र जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी निधि वन कॉलोनी, दौसा को नगरपालिका दौसा द्वारा खसरा नंबर 1501 में पट्टा संख्या 137 दिनांक 30.1.2002 को प्लॉट नंबर जे-563 बी निधिवन नगर, दुर्गा मंदिर के पास, दौसा को 71 फीट 6 इंच गुणा 31 फीट 6 इंच का जारी किया गया है। उक्त पट्टा जो कि श्री सतीश चन्द जैन को जारी किया गया है, के पट्टे में उत्तर दक्षिण भाग की तरफ साढे सात फीट रास्ते में छोडते हुए जारी किया गया है, जबकि नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित नक्शे अनुसार खसरा नंबर 1502 की सीमा से लगते हुए 30 फीट का रास्ता दर्शित किया गया है। इस प्रकार श्री सतीश चंद जैन के पट्टे में साढे सात फीट के बजाय 15 फीट भूमि रास्ते में काटते हुए पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्धारित रास्ते की भूमि में श्री सतीश चन्द जैन की कय की गई भूमि स्वयं के नक्शे में दर्शित में से 70 फीट के स्थान पर 15 फीट भूमि काटी जाकर साढे इकहत्तर फीट की लंबाई के स्थान पर 64 फीट की लंबाई दर्शाते हुए पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री सतीश चन्द जैन को जारी पट्टा नगर नियोजक द्वारा प्रमाणित प्लान के अनुसार नहीं होने से उक्त पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में दलील दी कि श्री सतीश चन्द जैन ने नगरपालिका दौसा द्वारा बैजनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति दौसा निधिवन नगर योजना के भूखंड संख्या ए-10 जिसका कुल क्षेत्रफल 333.56 वर्गगज भूखंड का आवंटी

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

एवं कब्जाधारी होने से उक्त भूखंड के पेटे चालान नंबर 3216 दिनांक 11.12.2001 के द्वारा कुल 15010/-रु० जमा करवाये गये है। श्री-सतीश जैन को उक्त पट्टा नगरपालिका दौसा द्वारा खसरा नंबर 1501 में से जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में यह भी दलील दी कि नगरपालिका दौसा द्वारा अप्रार्थी को विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी को पूर्व में ही पन्द्रह फीट भूमि काट कर कम भूमि का पट्टा जारी किया गया है। नगरपालिका दौसा द्वारा रोड के दूसरे सिरे से साढे सात फीट भूमि न काटकर अप्रार्थी की भूमि में से ही 15 फीट भूमि लेना चाहती है व अप्रार्थी का पट्टा निरस्त करवाना चाहती है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) दौसा से अप्रार्थी के पट्टे को निरस्त नहीं करने हेतु एवं यथास्थिति बनाये रखने हेतु नगरपालिका दौसा एवं अन्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जा चुका है। नगरपालिका द्वारा अप्रार्थी की 333.56 वर्गगज भूमि में से पूर्व में ही रास्ते के एफ तरफ की 7.5 फीट जमीन को रास्ते हेतु कम किया जाकर कुल 250.25 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय श्रीमानजी को उक्त जारी पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-1957 की धारा 80 (2) के तहत इस न्यायालय के समक्ष नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टा संख्या 137 दिनांक 30.1.2002 को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत पट्टा नगरपालिका दौसा द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 (2) में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, बेचने या अन्तरित करने के लिए किये गये किसी प्रस्ताव के ठीक होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा। कानूनन पट्टा जारी होने के पश्चात को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। नगरपालिका द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु नगरपालिका दौसा हाल नगर परिषद दौसा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत याचिका क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 80 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 फरवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

